प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
इलाहाबाद ।

सेवा में,

प्रबंधक,
प्रै. रामचन्द्र मिश्र मेमोरियल
पब्लिक (स्कूल) कॉन्वेन्ट पीपलगॉव, इला०

पत्रांक अनु0 9/मान्यता/अस्थायी प्राइमरी/15190-2003-2004 दिनांक : 11-10-03
विषय: प्राइमरी स्तर कक्षा 1 से 5 तक की अस्थायी मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में ।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक राजाज्ञा संख्या 2042/25-5-18एस (7)/97 दिनांक 3.5.81 एवं राजाज्ञा संख्या 230/15-6-96-18एस (7)/89 दिनांक 18.1.96 राजाज्ञा संख्या 981/15-6-90-18एस(7)/89 दिनांक 28 अप्रैल, 1998, राजाज्ञा संख्या 1073/15-6-90-18एस(7)/89 दिनांक 13 जुलाई, 1998 में निहित प्राविधानानुसार मान्यता समिति की बैठक दिनांक 29-11-03 के निर्णयानुसार आपके विद्यालय को प्राइमरी स्तर कक्षा 1 से 5 तक की अस्थायी मान्यता निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है, यदि विभागीय नियमों/शर्तों/शासनादेशों का पालन नहीं किया जाता है, तो आपके विद्यालय को अस्थायी मान्यता प्रत्याहरण करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

1. संस्था पंजीकृत एवं नवीनीकृत हो ।
2. सुरक्षित कोष के लिये 3500/- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इलाहाबाद के पदनाम में बन्धक हो ।
3. विद्यालय में निर्धारित माप के पांच कमरे हों तथा प्रधान अध्यापक तथा स्टोर कक्ष का होना आवश्यक है ।
4. विद्यालय की निजी भूमि हो। दस वर्ष का भवन किराये का नोटरी अनुबन्ध पत्र मान्य है। प्राइमरी स्तर की कम से कम दो सौ पचास रूपये की पुस्तकें होनी चाहिये।
5. विद्यालय में पांच सभी प्रशिक्षित अध्यापक हो, अप्रशिक्षित अध्यापक किसी भी दशा में मान्य नहीं किये जायेंगे ।
6. अध्यापकों को निर्धारित वेतनमान दिया जा रहा हो छात्र/छात्राओं द्वारा विभागीय निर्देशानुसार शुल्क ली जा रही हो, विद्यालय में अवैध कक्षायें न चलाई जायें।
7. विद्यालय में परिषद द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम ही पढ़ाया जाय, विद्यालय में क्रीड़ा स्थल हेतु मैदान हो, छात्र/छात्राओं के लिये आवश्यक साज सज्जा होना चाहिये। समय-समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाय ।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)
श्रीमती (आशालता)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
इलाहाबाद।

पृ0 सं0 अनु09/मान्यता अस्थायी प्राइमरी/ 15186-89 /2003-2004 उसी तिथि को ।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
2. उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, इलाहाबाद।
3. सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, इलाहाबाद ।
4. नगर शिक्षा अधिकारी, इलाहाबाद ।

(हस्ताक्षर)
श्रीमती (आशालता)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
इलाहाबाद।